भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1028
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

नेट/जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना पीएचडी करने वाले ओबीसी/एनसीएल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

1028. **श्री अनिल फिरोजिया:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) के छात्रों हेतु कोई विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना है;
(ख) नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण न करने वाले शोध छात्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है; और
(ग) सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा ओबीसी/एनसीएल छात्रों को उनके शोध कार्य के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह उन भारतीय अनुसंधान विद्वानों के लिए डॉक्टोरल फेलोशिप योजना चलाता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों, शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी द्वारा यथा परिभाषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों और अनुमोदित पीएचडी कार्यक्रम वाले महाविद्यालयों में पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। फेलोशिप की कुल संख्या का पांच प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) उत्तीर्ण नहीं की है। गैर-नेट/जेआरएफ छात्रों हेतु आवंटित पांच प्रतिशत फेलोशिप में से 27 प्रतिशत फेलोशिप अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नॉन-क्रीमी लेयर (एनसीएल) श्रेणी वाले उम्मीदवारों हेतु आरक्षित हैं। यूजीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूजीसी उन छात्रों को भी गैर-नेट फेलोशिप प्रदान करता है जो एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण नहीं हैं और किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गैर-नेट फेलोशिप ओबीसी सहित सभी श्रेणियों के पात्र छात्रों को प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक व्यापक योजना नामतः युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस) चलाता है, जिसके अंतर्गत ओबीसी छात्रों हेतु

राष्ट्रीय फेलोशिप नामक एक उप-योजना है। एनएफ-ओबीसी श्रेणी के लिए छात्र का चयन प्रत्येक यूजीसी-नेट-जेआरएफ और सीएसआईआर-नेट-जेआरएफ परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर किया जाता है।

यूजीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यूजीसी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा उन शोध छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण नहीं किया है तथा इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

*****